

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

मुकदमा कुलसीराम व भती बनाम शकुन्तल शर्मा
 पत्रावली संख्या 01/2025 सन 2025

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी
15.9.2025	बाद जॉन्च पत्रावली दर्ज रजिस्टर लोकर पेश हुई, आपलाष्ट को नोटिस जारी किया जाकर वास्ते पत्रावली तलबी दिनांक 26/9/25 को पेश हो।	
26.9.25	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता रे-पोइन्ट गण उपस्थित, रे-पोइन्ट गण सं. 1 से 4 की ओर से प्रकरण में अडरटें किंग लीगर्द, जो न्यायधीन में दी जाकर वास्ते रे-पोइन्ट गण जावाक दिनांक 07.11.2025 को पेश हो।	रे-पोइन्ट सं. 2 से 4 तक अडरटें किंग ली गई। Ad. Komlesh R/1608/2025
07.11.25	पत्रावली पेश हुई। उभय-पक्ष अधिवक्ता गण उपस्थित। वास्ते जावाक रे-पोइन्ट गण दिनांक 14.11.2025 को पेश हो।	कुलसीराम - ① मनोहर - 2 राजमल - ③
		कुलसीराम प्रशासक - ⑤ कीठ
		Ad. Komlesh R/1608/2025 07/11/2025 कुलसीराम राजमल मनोहर

तारीख 14.11.25

शकुल

वि. सीतावती



कुलश्रीराम

मनोहर

राजमल

कुलश्रीराम 12.12.25

मनोहर

राजमल

डा. राजमल
(रेस्पॉन्डेंट/सिप के
अधीन)

पत्रावली पेश हुई अपिलान्ट अधिवक्ता
उपस्थित, रेस्पॉन्डेंट गण उपस्थित,
प्रकरण में, रेस्पॉन्डेंट गण अवाज केलु
समय चाहे है न्यायधीन में समय दिया
जाकर वरन्ते पत्रावली अवाज दिनांक
12.12.25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई, वादी अधिवक्ता
द्वारा अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहे
बाबर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो रबीका
किया जाता है, वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही
रोका जाकर विद्वे किया जाता, प्रकरण इसी
स्तल पर रबीका किया जाता है,
पत्रावली फंसल अगुआ द्वारा नभन
से कम किया जावे।

हुई